तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रघुवीर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कार्यालय संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1352**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक प.11(01)भू.अ./ज.ग्रा./सामान्य/2025/ई–05433/205 दिनांक 04.07.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 18.12.2023 के संबंध में कार्यालय पत्रांक 16 दिनांक 05.01.2024, 19 दिनांक 19.01.2024, 40 दिनांक 06.02.2024 व 41 दिनांक 06.02.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रार्थी रघुवीर सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2025 से संबंधित सूचना जिला कोटपूतली–बहरोड से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत पत्रांक 137 दिनांक 22.07.2025 द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) को अन्तरण कर प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत पत्रांक 137 दिनांक 22.07.2025 द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) को अन्तरण कर प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	